प्रपत्र संख्या 4

—: विक्रय उद्घोषणा पत्र :—

कलक्टर/न्यायालय सहायक खनि अभियन्ता (वसूली) खान एवं भू–विज्ञान विभाग राजसमन्द खण्ड–प्रथम को न्यायालय

एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता हैं कि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 (राजस्थान एक्ट 15 ऑफ 1956 की धारा 230/235/237 के अधीन चूक करने वाले **श्रीमति प्रेम कंवर पत्नि श्री मोतीसिंह चौहान पिता श्री निवासी भीलमगरा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज0)** द्वारा देय राजस्व लगान की बकाया तथा कुर्क करने का खर्चा तथा विक्रय का खर्चा जो कि उक्त अनुसूची में बताया गया हैं वसूली करने के लिये सलंग्न अनुसूची में वर्णित कुर्क की गई हुई सम्पति के विक्रय के लिये इस न्यायालय द्वारा आज्ञा दे दी गयी है। विक्रय सार्वजनिक नीलाम द्वारा होगा और अनुसूची में बताये गये समूहों (लाट्स) में सम्पति का विक्रय किया जावेगा।

स्थान को आज्ञा के अभाव में विक्रय **श्री जमना शंकर गुर्जर खनि कार्यदेशक–प्रथम** (अधिकारी का नाम बताया जाये) श्री के द्वारा दिनांक 15/05/2024 को प्रातः 11.00 बजे निकट ग्राम झांझर, तहसील व जिला राजसमन्द में खनन पट्टा संख्या 171/1998 में किया जायेगा तथापि किसी भी लाट की बोली खत्म होने से पहले अनुसूची में निर्दिष्ट बकाया तथा विक्रय के खर्चे दे दिये या चुका दिये जाने की दशा में विक्रय बन्द कर दिया जायेगा।

सामान्यतः विक्रय के समय जनता या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी यथाविधि प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा बोली लगाने के लिये आमन्त्रित की जाती है। तथापि उपरोक्त चूक करने वाले द्वारा या उसकी ओर से कोई बोली न तो मन्जूर की जावेगी और न उसके नाम कोई विक्रय, न्यायालय द्वारा पहले दी गई स्पस्ट अनुमति के बिना, वैध होगा।

विक्रय की अन्य शर्तें निम्नलिखित हैं :–

1. निम्नलिखित अनुसूची में निर्दिष्ट ब्योरे न्यायालय की सर्वोत्कृष्ट सूचना के आधार पर दिये गये है। परन्तु इस उद्घोषणा में कोई त्रुटी गलत विवरण या भूल होने के लिये न्यायालय क उत्तरदायी नहीं होगा।
2. वह रकम जिसके द्वारा बोली बढ़ाई जायेगी विक्रय करने वाले अधिकारी द्वारा निश्चित की जायेगी। बोली की रकम या बोली लगााने वाले के संबंध में किसी विवाद के उत्पन्न होने की दशा ये लाट को तुरन्त नीलाम के लिये फिर से रखा जायेगा।
3. सबसे उंची बोली लगाने वाला किसी भी लाट का खरीददार घोषित किया जाएगा किन्तु हमेशा यह शर्त रहेगी कि बोली लगाने के लिये बोधिक रूप से योग्य हो और यह भी शर्त है कि सबसे उची बोली को मन्जूर करने के लिये इन्कार करना उस हालात मे न्यायालय या विक्रय करने वाले अधिकारी के विवेक पर निर्भर रहेगा जबकि बोली गई कीमत इतने स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत हो कि ऐसा करना ही उचित होगा।
4. सदैव कोड ऑफ सिविल प्रोसीसर के आर्डर 21 नियम 19 के प्रावधानों के अधीन अभिलिखित कारणों से विक्रय को स्थापित करना, विक्रय करने वाले अधिकारी के विवेक पर निर्भर करेगा।
5. चल सम्पत्ति की दशा में प्रत्येक लाट का मूल्य विक्रय के समय या विक्रय करने वाले अधिकारी के निर्देश देने के तुरन्त पश्चात चुका दिया जायेगा और भुगतान न करने पर सम्पत्ति पर तुरन्त फिर से बोली लगाई जायेगी उनको फिर से बेचा जायेगा।
6. (क) भूमि तथा अन्य अचल सम्पति की दशा में खरीददार घोषित किया गया व्यक्ति ऐसी घोषणा के पश्चात उसके क्रय मूल्य की रकम का 25 प्रतिशत विक्रय करने वाले अधिकारी के पास तुरन्त जमा करा देगा और इस प्रकार न जमा कराने पर उस पर तुरन्त फिर से बोली लगायी जायेगी और उसको फिर से बेचा जायेगा और ऐसा व्यक्ति प्रथम विक्रय में होने वाले खर्च के लिये पुनः विक्रय के कारण मूल्य में होने वाली किसी कमी के लिये उत्तरदायी होगा जो कि कलक्टर द्वारा उससे इस प्रकार वसूल की जा सकेगी मानो वह राजस्व की बकाया हैं।

   (ख) खरीददार द्वारा क्रय मूल्य की पूरी रकम सम्पति के विक्रय के पश्चात पन्द्रहवें दिन न्यायालय बन्द से पूर्व जमा करादी जावेगी जिसमें वह दिन शामिल नहीं होगा या पन्द्रहवें दिन रविवार या अन्य अवकाश का दिन हो तो पन्द्रह दिन के पश्चात न्यायालय खुलने के प्रथम दिन को जमा कर दी जायेगी।

   (ग) अनुमत अवधि में क्रय मूल्य की शेष राशि का भुगतान नहीं किये जाने पर विक्रय की गई विज्ञप्ति जारी के पश्चात सम्पति फिर से बेची जायेगी। विक्रय का खर्चा निकालने के पश्चात जमा रकम यदि न्यायालय उचित समझे तो सरकार के पक्ष में जप्त की जा सकेगी और दोषी खरीददार सम्पति पर या रकम के ऐसे किसी भाग पर जिसके लिये फिर से बेची जाये समस्त हक खो बेठेगा।

   (घ) यदि अन्ततः किये जाने वाले विक्रय की आय ऐसे दोषी खरीददार द्वारा लगाई गई बोली के मूल्य से कम हो तो उनका अन्तर उससे इस प्रकार वसूल किया जायेगा जैसे कि वह राजस्व की–
7. (क) भूमि समस्त भारों से मुक्त बेची जावेगी और ऐसे भूमि के संबंध के खरीददार के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति द्वारा पहले से की गई समस्त संविदाएं नीलाम द्वारा किये जाने वाले विक्रय के समय खरीदने वाले के विकल्प पर शून्यकरणीय समझी जायेगी।

(ख) उपरोक्त पैरा (क) में निहित कोई भी बात ऐसी भूमि के लिये लागू नहीं होगी जो कि रहने के मकानों, या फैक्ट्रियों के निर्माण के लिये यां बागों, तालाबों, नहरों, पूजा के स्थानों या श्मशान भूमियों या कब्रिस्तानों के लिये अस्थाई या स्थाई वास्तविक पट्टों के अधीन धारणा की जा रही हो ऐसी भूमि ऐसे पट्टों में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रयोग में आती रहेगी।

(ग) उपरोक्त पैरा (क) मे किसी भी बात के निहित होते हुए भी राज्य सरकार विक्रय किये जा चुकने से पूर्व किसी भी समय निर्देश दे सकती है कि उस भूमि के धारक द्वारा या ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसके मार्फत वह भूमि धारक अधिकार रखने का दावा रखता है उत्पन्न किये गये भूमि धारक अधिकार रखने का दावा रखता है उत्पन्न किये गये भूमि में ऐसे हित या अधिकारों के अधिन विक्रय किया जाये जैसा कि सरकार उचित समझें।

–: अनुसूचि :–

क्र.स.	वसूल की जाने वाली रकम	राशि रू.
1	राजस्व या लगान या तकाबी की देय रकम	500887/–
2	कुर्की का खर्चा	10/–
3	विक्रय का, यदि सम्पत्ति नीलाम नहीं की गई है तो अमीन की प्रतिनियुक्ति का खर्चा	–
	कुल योग	**5,00,897/–**

–: बेची जाने वाली सम्पति का विवरणः–

पट्टेधारी श्रीमति प्रेम कंवर पत्नि श्री मोतिसिंह चौहान खनन पट्टा निकट ग्राम झांझर, तहसील व जिला राजसमन्द, के खनन पट्टा संख्या 171/1998 क्षेत्र पर पड़ी डेरिक क्रेन, कलर–बेरंग लाल

19/4/24

न्यायालय
सहायक खनि अभियंता (वसूली)
राजसमन्द खण्ड–प्रथम।

क्रमांक : खअ/राज–I/एलआरएक्ट/2024–25/ 234 – 241 दिनांक– 19/04/2024

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं–

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय राजसमन्द।
2. तहसीलदार राजसमन्द।
3. पंजियन अधिकारी राजसमन्द।
4. सरपंच ग्राम पंचायत आत्मा।
5. थानाधिकारी केलवा।
6. श्री जमना शंकर गुर्जर खनि कार्यदेशक–प्रथम का0हा0 को भेजकर लेख हैं कि आप को नीलामी के अधिकार दिये जाते है वक्त जरूरत पुलिस इमदाद ली जावें।
7. श्रीमति प्रेम कंवर पत्नि श्री मोतीसिंह चौहान पिता श्री सोहन सिंह चौहान, निवासी भीलमगरा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज0)।
8. रक्षित पत्रावली।

यह आदेश आज दिनांक 19/04/24 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

19/4/24

न्यायालय
सहायक खनि अभियंता (वसूली)
राजसमन्द खण्ड–प्रथम।

प्रपत्र संख्या 4

—: विक्रय उद्घोषणा पत्र :—

कलक्टर/न्यायालय सहायक खनि अभियन्ता (वसूली) खान एवं भू–विज्ञान विभाग राजसमन्द खण्ड–प्रथम को न्यायालय

एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता हैं कि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 (राजस्थान एक्ट 15 ऑफ 1956 की धारा 230/235/237 के अधीन चूक करने वाले **श्री मोतीसिंह चौहान पिता श्री सोहन सिंह चौहान, निवासी भीलमगरा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज0)** द्वारा देय राजस्व लगान की बकाया तथा कुर्क करने का खर्चा तथा विक्रय का खर्चा जो कि उक्त अनुसूची में बताया गया हैं वसूली करने के लिये सलंग्न अनुसूची में वर्णित कुर्क की गई हुई सम्पति के विक्रय के लिये इस न्यायालय द्वारा आज्ञा दे दी गयी है। विक्रय सार्वजनिक नीलाम द्वारा होगा और अनुसूची में बताये गये समूहों (लाट्स) में सम्पति का विक्रय किया जावेगा।

स्थान को आज्ञा के अभाव में विक्रय **श्री जमना शंकर गुर्जर खनि कार्यदेशक–प्रथम** (अधिकारी का नाम बताया जाये) श्री के द्वारा दिनांक 15 / 05 /2024 को प्रातः 11.00 बजे निकट ग्राम झांझर, तहसील व जिला राजसमन्द में खनन पट्टा संख्या 14/2009 में किया जायेगा तथापि किसी भी लाट की बोली खत्म होने से पहले अनुसूची में निर्दिष्ट बकाया तथा विक्रय के खर्चे दे दिये या चुका दिये जाने की दशा में विक्रय बन्द कर दिया जायेगा।

सामान्यतः विक्रय के समय जनता या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी यथाविधि प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा बोली लगाने के लिये आमन्त्रित की जाती है। तथापि उपरोक्त चूक करने वाले द्वारा या उसकी ओर से कोई बोली न तो मन्जूर की जावेगी और न उसके नाम कोई विक्रय, न्यायालय द्वारा पहले दी गई स्पस्ट अनुमति के बिना, वैध होगा।

विक्रय की अन्य शर्तें निम्नलिखित हैं :–

1. निम्नलिखित अनुसूची में निर्दिष्ट ब्योरे न्यायालय की सर्वोत्कृष्ट सूचना के आधार पर दिये गये है। परन्तु इस उद्घोषणा में कोई त्रुटी गलत विवरण या भूल होने के लिये न्यायालय क उत्तरदायी नहीं होगा।
2. वह रकम जिसके द्वारा बोली बढ़ाई जायेगी विक्रय करने वाले अधिकारी द्वारा निश्चित की जायेगी। बोली की रकम या बोली लगााने वाले के संबंध में किसी विवाद के उत्पन्न होने की दशा ये लाट को तुरन्त नीलाम के लिये फिर से रखा जायेगा।
3. सबसे उंची बोली लगाने वाला किसी भी लाट का खरीददार घोषित किया जाएगा किन्तु हमेशा यह शर्त रहेगी कि बोली लगाने के लिये बोधिक रूप से योग्य हो और यह भी शर्त है कि सबसे उची बोली को मन्जूर करने के लिये इन्कार करना उस हालात मे न्यायालय या विक्रय करने वाले अधिकारी के विवेक पर निर्भर रहेगा जबकि बोली गई कीमत इतने स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत हो कि ऐसा करना ही उचित होगा।
4. सदैव कोड ऑफ सिविल प्रोसीसर के आर्डर 21 नियम 19 के प्रावधानों के अधीन अभिलिखित कारणों से विक्रय को स्थापित करना, विक्रय करने वाले अधिकारी के विवेक पर निर्भर करेगा।
5. चल सम्पत्ति की दशा में प्रत्येक लाट का मूल्य विक्रय के समय या विक्रय करने वाले अधिकारी के निर्देश देने के तुरन्त पश्चात चुका दिया जायेगा और भुगतान न करने पर सम्पत्ति पर तुरन्त फिर से बोली लगाई जायेगी उनको फिर से बेचा जायेगा।
6. (क) भूमि तथा अन्य अचल सम्पति की दशा में खरीददार घोषित किया गया व्यक्ति ऐसी घोषणा के पश्चात उसके क्रय मूल्य की रकम का 25 प्रतिशत विक्रय करने वाले अधिकारी के पास तुरन्त जमा करा देगा और इस प्रकार न जमा कराने पर उस पर तुरन्त फिर से बोली लगायी जायेगी और उसको फिर से बेचा जायेगा और ऐसा व्यक्ति प्रथम विक्रय में होने वाले खर्च के लिये पुनः विक्रय के कारण मूल्य में होने वाली किसी कमी के लिये उत्तरदायी होगा जो कि कलक्टर द्वारा उससे इस प्रकार वसूल की जा सकेगी मानो वह राजस्व की बकाया हैं।

   (ख) खरीददार द्वारा क्रय मूल्य की पूरी रकम सम्पति के विक्रय के पश्चात पन्द्रहवें दिन न्यायालय बन्द से पूर्व जमा करादी जावेगी जिसमें वह दिन शामिल नहीं होगा या पन्द्रहवें दिन रविवार या अन्य अवकाश का दिन हो तो पन्द्रह दिन के पश्चात न्यायालय खुलने के प्रथम दिन को जमा कर दी जायेगी।

   (ग) अनुमत अवधि में क्रय मूल्य की शेष राशि का भुगतानं नहीं किये जाने पर विक्रय की गई विज्ञप्ति जारी के पश्चात सम्पति फिर से बेची जायेगी। विक्रय का खर्चा निकालने के पश्चात जमा रकम यदि न्यायालय उचित समझे तो सरकार के पक्ष में जप्त की जा सकेगी और दोषी खरीददार सम्पति पर या रकम के ऐसे किसी भाग पर जिसके लिये फिर से बेची जाये समस्त हक खो बेठेगा।

   (घ) यदि अन्ततः किये जाने वाले विक्रय की आय ऐसे दोषी खरीददार द्वारा लगाई गई बोली के मूल्य से कम हो तो उनका अन्तर उससे इस प्रकार वसूल किया जायेगा जैसे कि वह राजस्व की–
7. (क) भूमि समस्त भारों से मुक्त बेची जावेगी और ऐसे भूमि के संबंध के खरीददार के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति द्वारा पहले से की गई समस्त संविदाएं नीलाम द्वारा किये जाने वाले विक्रय के समय खरीदने वाले के विकल्प पर शून्यकरणीय समझी जायेगी।

Azadi Ka Amrit Mahotsav

(ख) उपरोक्त पैरा (क) में निहित कोई भी बात ऐसी भूमि के लिये लागू नहीं होगी जो कि रहने के मकानों, या फैक्ट्रियों के निर्माण के लिये यां बागों, तालाबों, नहरों, पूजा के स्थानों या श्मशान भूमियों या कब्रिस्तानों के लिये अस्थाई या स्थाई वास्तविक पट्टों के अधीन धारणा की जा रही हो ऐसी भूमि ऐसे पट्टों में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रयोग में आती रहेगी।

(ग) उपरोक्त पैरा (क) मे किसी भी बात के निहित होते हुए भी राज्य सरकार विक्रय किये जा चुकने से पूर्व किसी भी समय निर्देश दे सकती है कि उस भूमि के धारक द्वारा या ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसके मार्फत वह भूमि धारक अधिकार रखने का दावा रखता है उत्पन्न किये गये भूमि धारक अधिकार रखने का दावा रखता है उत्पन्न किये गये भूमि में ऐसे हित या अधिकारों के अधिन विक्रय किया जाये जैसा कि सरकार उचित समझें।

—: अनुसूचि :—

क्र.स.	वसूल की जाने वाली रकम	राशि रू.
1	राजस्व या लगान या तकाबी की देय रकम	444154/—
2	कुर्की का खर्चा	10/—
3	विक्रय का, यदि सम्पत्ति नीलाम नहीं की गई है तो अमीन की प्रतिनियुक्ति का खर्चा	—
	कुल योग	**4,44,164/—**

—: बेची जाने वाली सम्पति का विवरण:—

पट्टेधारी श्री मोतिसिंह चौहान पुत्र श्री सोहन सिंह चौहान खनन पट्टा निकट ग्राम झांझर, तहसील व जिला राजसमन्द, के खनन पट्टा संख्या 14/2009 क्षेत्र पर पड़ी डेरिक क्रेन, कलर—हल्का पीला।

19/4/24

न्यायालय
सहायक खनि अभियंता (वसूली)
राजसमन्द खण्ड—प्रथम।

कमांक : खअ/राज—I/एलआरएक्ट/2023—24/ 242-249 दिनांक— 19/04/24

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं—

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय राजसमन्द।
2. तहसीलदार राजसमन्द।
3. पंजियन अधिकारी राजसमन्द।
4. सरपंच ग्राम पंचायत आत्मा।
5. थानाधिकारी केलवा।
6. श्री जमना शंकर गुर्जर खनि कार्यदेशक—प्रथम का0हा0 को भेजकर लेख हैं कि आप को नीलामी के अधिकार दिये जाते है वक्त जरूरत पुलिस इमदाद ली जावें।
7. श्री मोतीसिंह चौहान पिता श्री सोहन सिंह चौहान, निवासी भीलमगरा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज0)।
8. रक्षित पत्रावली।

यह आदेश आज दिनांक 19/04/2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मोहर से ज़ारी किया गया।

19/4/24

न्यायालय
सहायक खनि अभियंता (वसूली)
राजसमन्द खण्ड—प्रथम।